प्रेस नोट　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　दिनांक 08.11.2025

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा नोट बंदी के दौरान प्रचलन से बाहर पुरानी करेन्सी 03 करोड़ 85 लाख रुपये बरामदगी से सम्बंधित अभियोग में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 30/31.10.2025 की रात्रि को शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 04 अभियुक्त 1. शुभम चौधरी पुत्र श्री जयबीर सिंह, 2. अरुण पुत्र वीरसिंह कश्यप, 3. महेश प्रसाद पुत्र स्व रामप्रसाद राजपूत व 4. जितेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रकाश को नोट बंदी के दौरान प्रचलन से बाहर पुरानी करेन्सी 03 करोड़ 85 लाख रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके आधार पर थाना शालीमार गार्डन पर अभियुक्त 1. शुभम चौधरी पुत्र श्री जयबीर सिंह, 2. अरुण पुत्र वीरसिंह कश्यप, 3. महेश प्रसाद पुत्र स्व रामप्रसाद राजपूत, 4. जितेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रकाश, 5. मतलूब अहमद, 6. फखरुद्दीन, 7. एस. के. व 8. 2-3 अज्ञात के विरुद्ध धारा 318(2), 62, 61(2), 3/5 बीएनएस तथा 5/7 स्पेसिफाइड बैंक नोट्स (देयता समाप्ति) अधिनियम 2017 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त क्रम में दिनांक 06.11.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 03 करोड़ 85 लाख पुरानी करेन्सी बरामदगी से सम्बंधित अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त एस0 के0 उर्फ शारिक पुत्र मोईनउल्ला खां निवासी ग्राम जैनुद्दीनपुर थाना हसवर जिला अम्बेडकर नगर उ0प्र0 उम्र करीब 36 वर्ष व फखरूद्दीन पुत्र अब्दुल रऊफ निवासी मोहल्ला यूशुफलाल मस्जिद के पास थाना टांडा जिला रामपुर उ0प्र0 उम्र करीब 28 वर्ष को लोहिया पार्क के कोने के पास शालीमार गार्डन से व दिनांक 07.11.2025 को 02 अभियुक्त अभिनव उर्फ राहुल बुद्धी राजा पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी W Z 18/4 फ्लैट विष्णु गार्डन पश्चिम प्लाट न0 28 थाना तिलक नगर दिल्ली उम्र करीब 27 वर्ष व नसरूद्दीन पुत्र पुत्र अब्दुल रऊफ निवासी मौहल्ला यूसुफ लाल मस्जिक के पास थाना टांडा जिला रामपुर उम्र करीब 22 वर्ष को 80 फुटा रोड़ शालीमार गार्डन के पास ग्रीन पार्क से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 318(2), 62, 61(2), 3/5 बीएनएस तथा 5/7 स्पेसिफाइड बैंक नोट्स (देयता समाप्ति) अधिनियम 2017 के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि यह एक संगठित गिरोह है जो पुरानी करेंसी बदलवाने के नाम पर फ्रॉड करता है यह ग्रुप तीन लेवल पर काम करता है, प्रथम लेवल पर कुछ लोग पुरानी करेंसी इकट्ठा करने का काम करते हैं, दूसरे लेवल पर कुछ लोग इकट्ठा किया गया पैसा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं, तीसरे लेवल पर पैसे करेंसी बदलवाने के नाम पर फ्रॉड किया जाता है। इसीक्रम में थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा दिनांक 30/31.10.2025 को नोट बंदी के दौरान प्रचलन से बाहर पुरानी करेन्सी 03 करोड़ 85 लाख रुपये अभियुक्त उपरोक्त के साथी शुभम चौधरी, अरूण, महेश प्रसाद और जितेन्द्र से पकड़ी गयी थी, इन चारों का काम इकठ्ठा किया हुआ पैसा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुचाने का था और चारों अभियुक्तों के साथ गिरफ्तार अभियुक्त व उनके साथी 1.नसरूद्दीन पुत्र अब्दुल रउफ, 2.मतलूब अहमद पुत्र महबूब अहमद 3.मौहम्मद रियाज पुत्र रफीक 4.वीर सिंह पुत्र दाता राम व 5.जितेन्द्र अरोडा पुत्र परसराम अरोडा के द्वारा पैसे इकठ्ठा करने का काम किया जाता था। ये लोग मोबाइल के माध्यम से आपस में एक दूसरे से कान्टेक्ट में रहते हैं और वाट्सअप्प व टेलीग्राम के माध्यम से ही ये लोग जनता के लोगों से सम्पर्क कर उन्हें पुरानी करेन्सी के बदले नयी

करेन्सी देने का लालच देकर रुपये मंगाते हैं और 25 प्रतिशत के हिसाब से नयी करेन्सी में बदल देते है। जिसमें सभी अभियुक्तों को खासा कमीशन मिलने का लालच था। उपरोक्त घटना के बाद गिरफ्तारी के डर से ये लोग इधर-उधर छिप रहे थे कि पुलिस ने चैकिंग के दौरान पकड़ लिया। गिरफ्तार अभियुक्त अभिनव उर्फ राहुल बुद्धि राजा और एसके उर्फ शरिक तीसरे लेवल पर काम करते थे इनके द्वारा लोगों को पुरानी करेंसी बदलवाने का झूठा प्रलोभन दिया जाता था अभी तक की पूछताछ के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा आज तक कभी भी पुरानी करेंसी आरबीआई से नहीं बदलवाई गई है। सभी लोगों से पुरानी करेंसी बदलवाने के नाम पर एडवांस लेते थे और इनको एडवांस के पैसे ठग देते थे पुरानी करेंसी होने की वजह से कोई इनकी शिकायत नहीं करता था। इस पूरे गिरोह का सरगना अभिनव उर्फ राहुल बुद्धि राजा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. एस0 के0 उर्फ शारिक पुत्र मोईनउल्ला खां निवासी ग्राम जैनुद्दीनपुर थाना हसवर जिला अम्बेडकर नगर उ0प्र0 उम्र करीब 36 वर्ष।
2. फखरूद्दीन पुत्र अब्दुल ऱऊफ निवासी मोहल्ला यूशुफलाल मस्जिद के पास थाना टांडा जिला रामपुर उ0प्र0 उम्र करीब 28 वर्ष।
3. अभिनव उर्फ राहुल बुद्धी राजा पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी W Z 18/4 फ्लैट विष्णु गार्डन पश्चिम प्लाट न0 28 थाना तिलक नगर दिल्ली उम्र करीब 27 वर्ष।
4. नसरूद्दीन पुत्र पुत्र अब्दुल रऊफ निवासी मौहल्ला यूसुफ लाल मस्जिक के पास थाना टांडा जिला रामपुर उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना शालीमार गार्डन पर नकली करेन्सी व धोखाधड़ी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अभियोग में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06.11.2025 को वादी द्वारा थाना मोदीनगर पर तहरीर दी गयी कि मेरी नाबालिग पोती उम्र करीब 13 वर्ष के साथ दुसरे समुदाय के युवक द्वारा दुष्कर्म कर अश्लील वीडियों बनाना तथा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 40 हजार रूपये, सोने की बाली व चांदी की पाजेब हड़प लेना तथा शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल धारा 333/70(2)/77/308(2)/351(3) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो अधि0 व 3(2)/5 SC/ST ACT के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 08.11.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वाँछित अभियुक्त रिहान पुत्र शाबूद्दीन निवासी हाल पता शमशान घाट के पास हापुड रोड मोदीनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद स्थाई पता शिव मन्दिर के पास ग्राम गढी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी पीडिता से स्कूल में टाईल्स लगाने के कार्य के दौरान जान पहचान हो गयी थी जिसके बाद मैंनें पीडिता के साथ उसके घर पर आकर गलत काम किया गया तथा उसकी वीडियो बना ली थी तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

अभियुक्त का नाम व पता -

रिहान पुत्र शाबूद्दीन निवासी हाल पता शमशान घाट के पास हापुड रोड मोदीनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद स्थाई पता शिव मन्दिर के पास ग्राम गढी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी करने में प्रयुक्त सामान 01 हथौडा, 01 लोहे का प्लास, 01 लोहा काटने की आरी का ब्लेड, 01 पेचकस, 01 लोहे की बारी (नुकीली छड़) व दिल्ली से चोरी की गयी 01 स्कूटी बरामद।

आज दिनांक 08.11.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चोरी करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. राहुल पुत्र इन्द्र कुमार निवासी डी-375 नन्दनगरी थाना नन्दनगरी दिल्ली उम्र करीब 21 वर्ष 2. मंगल उर्फ देवेन्द्र पुत्र दीपचन्द निवासी सी 1/11 नन्दनगरी थाना नन्दनगरी दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी करने में प्रयुक्त सामान 01 हथौडा, 01 लोहे का प्लास, 01 लोहा काटने की आरी का ब्लेड, 01 पेचकस, 01 लोहे की बारी (नुकीली छड़) व तथा दिल्ली से चोरी की 01 स्कूटी बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 317(2)/317(5)/312/313 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम रात में घरों व दुकानों से मौका पाकर चोरी कर लेते हैं। आज हम यहां चोरी की स्कूटी से चोरी करने के उद्देश्य से आये थे। यह स्कूटी हमने करीब 05 दिन पहले जी.टी.बी. अस्पताल दिल्ली की पार्किंग से चोरी की थी। आज हम इस स्कूटी से चोरी करने के लिये आपस में प्लानिंग कर रहे थे कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. राहुल पुत्र इन्द्र कुमार निवासी डी-375 नन्दनगरी थाना नन्दनगरी दिल्ली उम्र करीब 21 वर्ष।
2. मंगल उर्फ देवेन्द्र पुत्र दीपचन्द निवासी सी 1/11 नन्दनगरी थाना नन्दनगरी दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से चोरी करने में प्रयुक्त सामान 01 हथौडा, 01 लोहे का प्लास, 01 लोहा काटने की आरी का ब्लेड, 01 पेचकस, 01 लोहे की बारी (नुकीली छड़) व चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर अभियुक्तगण के विरूद्ध 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त राहुल के विरूद्ध थाना मानसरोवर पार्क दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है ।
अभियुक्त मंगल उर्फ देवेन्द्र के विरूद्ध थाना मानसरोवर पार्क दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग व थाना नन्द नगरी दिल्ली में आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाईकिल बरामद।

दिनांक 06.11.2025 को वादी श्री अकुंर पुत्र पप्पू सिंह नि0 गुलावठी जिला बुलन्दशहर द्वारा थाना वेव सिटी पर अज्ञात चोर द्वारा अपनी मोटर साईकिल चोरी हो जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया जिस पर तत्काल मु0अ0सं0 328/2025 धारा 303(2) BNS पंजीकृत किया गया।

घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। दिनांक 08.11.2025 को थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एवं मैनुअल इनपुट के आधार पर 1. राहुल पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष,2. पंकज पुत्र धर्म सिह निवासी ग्राम बयाना थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष को आदित्य वर्ल्ड सिटी से गिरधरपुर को जाने वाले तिराहे पर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 02 मो0सा0 हीरो HF डिलक्स नं0 UP13BS9033 सम्बन्धित मु0अ0सं0 328/2025 व मोटरसाईकिल हीरो स्पलेन्डर नं0 BR09U9883 सम्बन्धित मु0अ0सं0 029750/2025 ई-पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट क्राईम ब्रांच दिल्ली बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह दोनो मोटरसाईकिल हम दोनो ने मिलकर चोरी की है। हीरो डिलक्स मोटरसाईकिल हमने दिनांक 01.11.2025 को जगदीश पहलवान गेट के पास शाहपुर बम्हैटा से चोरी की थी तथा दूसरी बाईक हीरो स्पलेन्डर हमने करीब 7 से 8 दिन पहले शास्त्री नगर दिल्ली से चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- राहुल पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष
- पंकज पुत्र धर्म सिह निवासी ग्राम बयाना थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

मोटरसाईकिल हीरो स्पलेन्डर नं0 BR09U9883 व हीरो HF डिलक्स नं0 UP13BS9033 बरामद।

अभियुक्तो का आपराधिक इतिहास -

अभियुक्त राहुल पुत्र ओमवीर पर थाना कविनगर पर 01 अभियोग आर्म्स एक्ट व 01 अभियोग धोखाधडी का तथा थाना वेवसिटी पर 01 अभियोग चोरी का व दिल्ली में 01 अभियोग चोरी संबंधीत पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त पंकज पुत्र धर्म सिंह पर थाना कविनगर पर 01 अभियोग आबकारी अधिनियम का तथा थाना मसूरी पर 01 अभियोग आर्म्स एक्ट, 02 अभियोग चोरी के व थाना सिहानी गेट पर 01 अभियोग चोरी का तथा थाना वेव सिटी पर 02 अभियोग चोरी, 01 आर्म्स एक्ट व छपटमारी का व दिल्ली में 01 अभियोग चोरी संबंधीत पंजीकृत है अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।